

फर्द अहकाम

विक्रमसिंह बनाम कजोड वगैरे

न्यायालय

उपर्युक्त अधिकारी
जयपुर (जयपुर)

संख्या

136/2015

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
26/6/18	<p>आज यह पत्रावली न्याय आपके द्वार अभियान 2018 राजस्व कैम्प कोर्ट <u>या.श.वा.का.रा.</u> में पेश हुई, पक्षकारान को विधिवत नोटिस तामिल हो चुके है। प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का निस्तारण निधारित अवधि में किया जाना होता है। उनवानी प्रकरण में अदालत के दृष्टिकोण में मूल वाद के निस्तारण तक प्रार्थी व अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना उचित प्रतीत होता है।</p> <p>अतः परिणामस्वरूप प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम को आंशिक स्वीकार किया जाकर प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण को मूल वाद के निस्तारण तक अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वह वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर <u>1103, 1104</u></p> <p>कुल रकवा वाके ग्राम <u>या.श.वा.का.रा.</u> तहसील <u>या.श.वा.का.रा.</u> जिला जयपुर की रीकॉर्ड रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखें। एक दुसरे के कब्जे काश्त में दखलन्दाजी नही करें। अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द रहें।</p> <p>पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।</p>	